



58

अपील प्रकरण क्रमांक / 2014
प्रस्तुति दिनांक 27-01-2014

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

रामस्वरूप पिता सूरजलाल साहू
निवासी- 12 पंचवटी नगर, इन्दौर

-- -- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर जिला इन्दौर
2. तहसीलदार तहसील व जिला इन्दौर

-- -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43/अ-74/12-13 में दिनांक 24/07/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित कारणों से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

[Handwritten signature]

R-374-PBR/14

श्री हेमंत मोहन
अधीकृत कृ.स.सू.
इ.प्र.सू.
29/1/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग0 374-पीबीआर/14

जिला - इंदौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/07/19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, इंदौर के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के न्यायालय में भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-6-19 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हों।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>